

File No.:L-11030/8/2025-EP-I
भारत सरकार / Government of India
आयुष मंत्रालय / Ministry of Ayush
आयुष शिक्षा नीति अनुभाग-1 / AEP-I Section

“आयुषभवन” / “AYUSH BHAWAN”
“बी” ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, / ‘B’ Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 / INA, New Delhi-110 023
दिनांक/Dated: 10 .03.2026

PUBLIC NOTICE

Subject: Submission of Second Appeals under the NCISM Act, 2020 / NCH Act, 2020 – reg.

It is hereby informed that, in pursuance of the provisions under the *National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020* and the *National Commission for Homoeopathy Act, 2020*, aspirants intending to submit **Second Appeals** to the Central Government (Ministry of Ayush) are required to ensure that their submissions are complete in all respects.

For effective processing and timely disposal of Second Appeals, applicants must strictly adhere to enclose the following documents as per the checklist given below. Incomplete appeals or those not accompanied with the required enclosures are liable to be returned without consideration.

Check List for preferring Appeal to the Central Government under Section 29 (6), 35 (7) and 36 (3) of the National Commission for Indian Systems of Medicine Act, 2020 & National Commission for Homoeopathy Act. 2020

S.No	Particulars	Date	Copy of Documents attached
1	Application submitted to NCISM/NCH for permission		(Yes/No)
2	Proof of fee paid to NCISM/NCH with application		(Yes/No)
3	Inspection Report		(Yes/No)
4	Letter of Board for deficiencies found		(Yes/No)
5	Compliance report		(Yes/No)
6	Decision letter of Board		(Yes/No)
7	1st Appeal filed before NCISM/NCH against the decision of the Board		(Yes/No)
8	Decision of NCISM/NCH on 1st appeal		(Yes/No)
9	Justification for 2nd Appeal	N.A.	(Yes/No)

Check List for preferring Appeal to the Central Government under Section 9(6) of the National Commission for Indian Systems of Medicine Act, 2020 & National Commission for Homoeopathy Act. 2020

S.No.	Particulars	Date	Copy of Documents attached
1	Issue/Grievance with decision of Board / NCISM/NCH		(Yes/No)
2	Request made to Board / NCISM/NCH		(Yes/No)
3	Decision of the Board/ NCISM/NCH on the request		(Yes/No)
4	First Appeal filed to the NCISM/NCH, if required.		(Yes/No)
5	Decision of NCISM/NCH on 1 st , Appeal		(Yes/No)
6	Justification for 2nd Appeal	N.A.	(Yes/No)

Important Instructions:

- The Second Appeal should be filed within the prescribed time limit as per the provisions of the NCISM Act, 2020 / NCH Act, 2020.
- Appeals should be submitted before the Central Government (Ministry of Ayush) only through the designated e-mail ID i.e. secondappeal-moa@gov.in and hard copy at the designated receipt section of the Ministry of Ayush.
- It is specifically stated that filing the Second Appeal on the above-mentioned e-mail ID is mandatory, and any Second Appeal sent to any other e-mail ID shall not be considered.
- Applicants are advised to retain a copy of the entire submission for their records.

(Issued in public interest by Ministry of Ayush, Government of India)

File No.: L-11030/8/2025-EP-I
भारत सरकार / Government of India
आयुष मंत्रालय / Ministry of Ayush
आयुष शिक्षा नीति अनुभाग-1 / AEP-I Section

“आयुषभवन” / “AYUSH BHAWAN”
“बी” ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, / ‘B’ Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 / INA, New Delhi-110 023
दिनांक/Dated: 10 .03.2026

सार्वजनिक सूचना

विषय: राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत द्वितीय अपीलों के प्रस्तुतिकरण – संबंधी।

यह द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, जो आवेदक भारत सरकार (आयुष मंत्रालय) के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी अपील पूर्ण रूप से तैयार हो।

द्वितीय अपीलों के प्रभावी निस्तारण एवं समयबद्ध प्रक्रिया हेतु, आवेदकों को नीचे दिए गए चेकलिस्ट के अनुसार आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण अपीलें अथवा बिना आवश्यक संलग्नों के प्राप्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें लौटा दिया जाएगा।

भारत सरकार को अपील प्रस्तुत करने हेतु चेकलिस्ट (धारा 29(6), 35(7) एवं 36(3),
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
अधिनियम, 2020 के अंतर्गत)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	संलग्न अभिलेख की प्रति
1	एनसीआईएसएम/एनसीएच को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन		(हाँ/नहीं)
2	आवेदन के साथ एनसीआईएसएम/एनसीएच को अदा शुल्क का प्रमाण		(हाँ/नहीं)
3	निरीक्षण प्रतिवेदन		(हाँ/नहीं)
4	बोर्ड द्वारा पाई गई कमियों का पत्र		(हाँ/नहीं)
5	अनुपालन प्रतिवेदन		(हाँ/नहीं)
6	बोर्ड का निर्णय पत्र		(हाँ/नहीं)
7	बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध एनसीआईएसएम/एनसीएच के समक्ष दायर प्रथम अपील		(हाँ/नहीं)
8	प्रथम अपील पर एनसीआईएसएम/एनसीएच का निर्णय		(हाँ/नहीं)
9	द्वितीय अपील हेतु औचित्य	लागू नहीं	(हाँ/नहीं)

भारत सरकार को अपील प्रस्तुत करने हेतु चेकलिस्ट (धारा 9(6), राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत)

S.No.	Particulars	Date	Copy of Documents attached
1	बोर्ड/एनसीआईएसएम/एनसीएच के निर्णय से संबंधित मुद्दा/शिकायत		(हाँ/नहीं)
2	बोर्ड/एनसीआईएसएम/एनसीएच के समक्ष किया गया अनुरोध		(हाँ/नहीं)
3	उक्त अनुरोध पर बोर्ड/एनसीआईएसएम/एनसीएच का निर्णय		(हाँ/नहीं)
4	प्रथम अपील, यदि अपेक्षित हो तो, एनसीआईएसएम/एनसीएच को दायर की गई		(हाँ/नहीं)
5	प्रथम अपील पर एनसीआईएसएम/एनसीएच का निर्णय		(हाँ/नहीं)
6	द्वितीय अपील हेतु औचित्य	लागू नहीं	(हाँ/नहीं)

महत्वपूर्ण निर्देश:

- द्वितीय अपील एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 एवं एनसीएच अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर दायर की जानी चाहिए।
- अपीलें केवल केंद्रीय सरकार (आयुष मंत्रालय) के समक्ष निर्धारित ई-मेल आईडी **secondappeal-moa@gov.in** के माध्यम से तथा अपील की प्रतियाँ आयुष मंत्रालय के नामित प्राप्ति अनुभाग में हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर द्वितीय अपील दाखिल करना अनिवार्य है, तथा किसी अन्य ई-मेल आईडी पर भेजी गई द्वितीय अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्तुत की गई संपूर्ण अपील एवं संलग्न अभिलेखों की एक प्रति अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी)